

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302005

(दूरभाष नं०:-0141-2740837,, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/के-2463/2013/अलेसे-III/513

दिनांक :- 24.3.2023

कार्यालय आदेश

श्री कमल आसीजा, कनि. लेखाकार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर के द्वारा रिश्वत लेते गिरफ्तार किये जाने पर निदेशालय के आदेश सं. एफ.4(ई)(1)(6)/के-2463/2013/अलेसे-III/262/दिनांक 16.05.2022 के द्वारा दिनांक 05.05.2022 से निलम्बित किया जाकर मुख्यालय कोषालय, बीकानेर किया गया था। श्री कमल आसीजा को निलम्बित हुए 6 माह से अधिक की अवधि पूर्ण हो चुकी है। श्री कमल असिजा द्वारा निर्वाह भत्ता बढ़ाये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र तथा कोषालय बीकानेर के पत्रांक कोष/बीका/स्था./2022-23/881 दिनांक 26.12.2022 के आधार पर राजस्थान सेवा नियम 53(II) के अनुसरण में श्री कमल आसीजा, कनि. लेखाकार (निलम्बित) को पूर्व में स्वीकृत निर्वाह भत्ते में 50% की नियमानुसार अभिवृद्धि किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती हैं।



(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन

संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/के-2463/2013/अलेसे-III/513

दिनांक :- 24.3.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. कार्यालय महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज. जयपुर।
2. पुलिस अधीक्षक, भ्र० नि० ब्यूरो बीकानेर को सूचनार्थ।
3. अति. पुलिस अधीक्षक, भ्र० नि० ब्यूरो, स्पेशल यूनिट, बीकानेर।
4. कार्यालय कोषाधिकारी, बीकानेर।
5. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
6. एससीपी उपनिदेशक को वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
7. कार्यालय कोषाधिकारी, बीकानेर।
8. पदस्थापन सीट/निजी/रक्षित पत्रावली।

(के. जी. गुप्ता)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)